न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 131/2016

1. रामगोपाल आयु 66 साल आ0 श्री छोटूलाल जी जाति मीणा निवासी बुढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. बाबूलाल आयु 42 साल
2. गणेशराम आयु 40 साल
3. भंवरलाल आयु 38 साल पिसरान नाथू जाति माली निवासी शिवनगर काप्रेन तह0 के0 पाटन
4. भूरी पुत्री नाथू जाति माली निवासी काप्रेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज.
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वाद :—अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,89 व धारा 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री महावीर बागडी, एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

—: निर्णय :—

दिनांक —06.09.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 03.10.2016 को यह वाद अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 714 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम व माल बुढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज.

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

में विरिथत है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता द्वारा दिनांक 12.06.1970 को बैचान कर दिया एवं मौके पर कब्जा संभला दिया तब से वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.09.2016 को वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज करवाने से इंकार कर दिया। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वादपत्र स्वीकार कर वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वादी की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 रामगोपाल के रूप में स्वयं का शपथ पत्र, व प्रभूलाल एवं लटूरलाल के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–1 तथा बैचाननामा प्रदर्श– 2 पेश किया।

5. वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि वादी वाद वर्णित कृषि भूमि पर बैचाननामा दिनांक 12.06.1970 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है या नही? बैचाननामा में वर्णित इबारत से प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी का कब्जा है। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा प्रतिफल भी प्राप्त किया जा चुका है। यह तथ्य भी बैचाननामा में वर्णित है। वादी के पक्ष में उक्त बैचाननामा नही लिखा गया हो, वादी का वाद वर्णित भूमि पर कब्जा नही हो। इस सबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। इस प्रकार वाद वर्णित तथ्यों को प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति मानी जायेगी। कृषि भूमि पर इकरारनामा से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है यह सुस्थापित विधि है लेकिन सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के अनुसार स्वीकृति के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जा सकता है और उपरोक्त अनुसार स्वीकार किये गये वाद में पारित डिक्री से यदि वादी को प्रथम बार किसी सम्पति में अधिकार सृजित होते हो तो ऐसी डिक्री का डिक्री में वर्णित सम्पति के बाजार मुल्यानुसार रजिस्ट्रेशन करवाकर ही

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। ऐसीस्थिति में वादी भी उपरोक्त अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त वाद में पारित डिक्री का वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 714 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम व माल बुढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. के बाजार मुल्यानुसार वादी द्वारा उप पंजीयक कार्यालय के0 पाटन में रजिस्टर्ड करवाने के पश्चात तहसीलदार केशवराय पाटन रजिस्टर्ड डिक्री के आधार पर वादी के नाम नामान्तकरण तस्दीक करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

6/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवराय पाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास – दुर्गाशंकर मीना

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन आर.ए.एस.

रामगोपाल V/S बाबूलाल वगै0

वाद– अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :: 131/2016

वादी की ओर से श्री महावीर बागडी, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 06.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

''वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त वाद में पारित डिकी का वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 714 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम व माल बुढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. के बाजार मुल्यानुसार वादी द्वारा उप पंजीयक कार्यालय केशवरायपाटन में रजिस्टर्ड करवाने के पश्चात तहसीलदार केशवरायपाटन रजिस्टर्ड डिकी के आधार पर वादी के नाम नामान्तकरण तस्दीक करे।''

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत .... ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व ारह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 06.09.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवराय पाटन

Scanned by CamScanner